कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0 नि0/14480/2215 दिनांकः–11.02.15

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मसौढी

पत्र

महाशय,

नगर परिषद, मसौढी के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 806/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14480/ दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

259

नगर परिषद, मसौढी

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.– 806/14–15

भाग–I
प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर परिषद, मसौढ़ी
2. लेखा की अवधि :– 2013–14
3. लेखापरीक्षा का उददेश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किया गया पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 29.08.14 से 09.09.14
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्री रजनीकान्त कुमार	01.04.2013 से 31.03.2014 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्री सत्येन्द्र कुमार	01.04.2013 से 31.03.2014 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
क) श्री **ललन प्र0** बि0,प्र0,से0	01.04.2013 से 10.04-2013 तक
श्री गिरधारी लाल बि0,प्र0,से0	10.04.2013 से 24.04-2013 तक
श्री चन्द्रशेखर प्र0 सिंह	24.04.2013 से 20.12-2013 तक
श्री शशि कु0 सिंह	20.12.2013 से 17.02-2014 तक
श्री प्रहलाद लाल	17.02.2014 से 31.03-2014 तक

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री शिवराम (ले0प0)
2. श्री संगम तिवारी (ले0प0)
3. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
4. श्री राजेश कुमार– III (स0ले0प0अ0)

7 पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम– श्री राजीव कुमार–I (व0ले0प0अ0)

8 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– (अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 442/12–13 अंकेक्षण अवधि–2010–11 से 2011–12 (साक्ष्य नहीं पाया गया)।

सामान्य अभियुक्ति

9 अंकेक्षण टिप्पणी– नगर परिषद, मसौढ़ी की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसुली हेत अपेक्षित प्रयास किए जाए। नगर परिषद, मसौढ़ी प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। वसूली राशि को ससमय जमा नही किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतू विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** :– हाँ (09.09.14)

11 **लेखापरीक्षा का परिणाम** :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– ₹ 45966.00
वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹851351.00
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹7320701.00
विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर है।

12. **बजट**

बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 की धारा–84 के भाग (i) के अनुसार नगर निकाय को तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है। भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाएँगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च, 31 के पहले निकास को भेजे जाएँगे।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(i) लेखापरीक्षा में उपलब्ध बजट एवं वार्षिक लेखा के मिलान के नमूना जांच में पाया गया कि बजट के अनुसार विभिन्न मद में संभावित व्यय को दर्शाया गया, परंतु वार्षिक लेखा के अनुसार वास्तविक व्यय शून्य था, विवरण निम्न है :–

क्रं0सं0	मद	संभावित व्यय	वास्तविक व्यय
1	सड़को के निर्माण एवं जीर्णोद्धार पर	10500000.00	शून्य
2	सामुदायिक भवन स्टॉलों रैन बसेरा के निर्माण एवं व्यवस्था पर व्यय	5000000.00	शून्य
3	ईंट सोलिंग सड़क निर्माण योजना पर व्यय	10000000.00	शून्य
4	अलाव जलाव पर व्यय	100000.00	शून्य
5	सड़क सुधार योजना पर व्यय नगर निधि से	7500000.00	शून्य
6	बी0पी0एल0 परिवारों का सर्वेक्षण	500000.00	शून्य
7	जलापूर्ति	5000000.00	शून्य

8	नया बस पड़ाव निर्माण एवं यात्री शेड निर्माण योजना पर व्यय	5000000.00	शून्य
9	13वें वित्त आयोग से क्रियान्वयन योजनाओं पर व्यय	5000000.00	शून्य
10	नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित कार्य	1000000.00	शून्य

विवरण से स्पष्ट है कि संभावित व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय शून्य है, जो बजट की स्थिति से परे है ऐसा बजट तैयार करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) सरकार को बजट की प्रति कब भेजी गयी। सरकार द्वारा स्वीकृत बजट नगर निकाय को वापस भेजा गया था या नहीं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में वास्तविक आय एवं व्यय को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जायेगा।

उत्तर के आलोक में भविष्य में अग्रेतर कारवाई की जाए।

13. टिप्पणी :–

वित्तीय विवरण और बैलेंश शीट :– इसे तैयार नहीं किया गया था।

14(i) आय–व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सामान्य रोकड़ वही एवं सहायक रोड़क बही के आय– व्यय वर्ष 2013–14 का निम्नलिखित है–

प्रारंभिक शेष	41242173.58
प्राप्ति	71049391.80
कुल	112291565.38
व्यय	40365709.00
अंतशेष	71925856.38

(उपर्युक्त आय व्यय के सार की विवरणी परिशिष्ट सं0– III पर संलग्न)

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. आय व्यय विवरणी के अंतर्गत क्रम संख्या–1 से 7 के रोकड़ बही मद में कोई आय व्यय विगत 1 से 9 वर्षों के बीच नहीं किया गया था, इतने वर्षों से राशि अवरोधित कर के रखी गई।

2. क्रम संख्या–8, 14, 18 और 21 में 2013–14 में कोई व्यय नहीं किया गया है।

3. NSDP, SJSRY मद के अंतर्गत एक ही पासबुक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में संधारित की गई थी, जिससे बैंक पासबुक का अंतशेष (31.03.2014) स्पष्ट नहीं हो सका।

4. विधान परिषद निधि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रोकड़ बही एवं पासबुक के 31.03.2014 के अंतर का समाधान नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i) बोर्ड की बैठक में राशि व्यय के संबंध में प्रस्ताव रखा जायेगा

(ii) SJSRY की राशि को एक बैंक का खाता खोलकर संधारित कर लिया जायेगा

(iii) इस पासबुक में आयकर, खनन कर एवं वैट की कटौती की गई राशि संधारित है। अन्तर का समाधान इसके भुगतान होने के बाद कर लिया जायेगा।

इसका समाधान कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

कंडिका–14(ii) रोकड़पाल की रोकड़बही का संधारण नहीं

नगर परिषद मसौढ़ी के वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गए विविध रसीद जो विभिन्न कर्मचारियों को निर्गत किया गया था को प्रत्येक कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत दैनिक संग्रह पुस्तिका में उसकी वसूली की प्रविष्टि की गई थी। परन्तु रोकड़पाल ने रोकड़पाल की रोकड़बही का संधारण नहीं किया था। प्रत्येक व्यक्ति/कर्मचारी द्वारा वसूली गई राशि को कुल जोड़ कर राशि को ट्रेजरी/बैंक में चालान के माध्यम से जमा कर इसकी प्रविष्टि सामान्य रोकड़बही में की गई।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि कर दारोगा को रोकड़पाल की रोकड़ बही संधारित करने का आदेश दिया गया है, वो 01.04.14 से इसका संधारण करेंगे।

भाग–II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका–15 13वीं वित आयोग की राशि ₹57.23 लाख रूपये का अप्राप्त रहना

13वीं वित आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना से नगर परिषद, मसौढ़ी को जारी वर्ष 2013–14 में राशि रू0 57,23,508.00 अब तक इसके रोकड़ बही/बैंक खाता में प्राप्त नहीं था। वह राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) पटना से RTGS के माध्यम से प्राप्त होना था। नगर परिषद, मसौढ़ी को राशि बिहार मध्य ग्रामीण बैंक, नूरा के खाता संख्या–73190100021592 में जमा होना था। राशि का विवरण नीचे है :–

क्रं0सं0	संस्वीकृति पत्रांक एवं दिनांक	अनुदान की राशि
1	764 दिनांक 02.05.2013	2468206.00
2	01 दिनांक 05.04.2013	480000.00
3	12 दिनांक 19.07.2013	2775302.00
	कुल	**5723508.00**

पुनः पत्रांक 764 दिनांक 02.05.2013 के कंडिका 2 के अनुसार यदि संबंधित निकायों के सम्मुख अंकित बैंक खाता संख्या अन्य योजना से संबंधित हो तो संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी इस राशि को 13वें वित आयोग के खाता में अविलम्ब हस्तांतरित करेगें। कंडिका 3 के अनुसार 'प्राप्त राशि का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी ससमय उपलब्ध कराया जाय।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि– इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बुडा को पत्र लिखा जायेगा।

जवाब संतोषजनक नहीं था। राशि ₹5723508/–के अप्राप्त रहने से नगर परिषद इसके उपयोग से वंचित रहा। इतने दिनों तक राशि प्राप्त नहीं होने पर इसकी तहकीकात पूर्व में ही नहीं किया गया था। मासिक प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा आपति क्यों नहीं उठाया गया। अद्यतन स्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–16(i) विविध रसीद की राशि ₹1000 जमा नहीं

नगर परिषद, मसौढ़ी के वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गए विविध रसीद की राशि ₹1000 जमा नहीं था। विवरण इस प्रकार है –

क्र0सं0	नाम	पद	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6
1	श्री शिव प्रकाश	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1961 1962	09.04.14 11.04.14	500/– 500/–
				कुल	**1,000/–**

मद : पानी टंकी

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि विवध रसीद सं.–2744 दिनांक 03.09.14 द्वारा राशि ₹1000 चालान सं.–24/14–15 द्वारा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं.–73190100021592 में दिनांक 08.09.14 को जमा किया गया है। राशि जमा का साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

कंडिका–16(ii) कम जमा/नहीं जमा होल्डिंग टैक्स

वर्ष 2013–14 के लेखाओं के लेखापरीक्षा के दौरान होल्डिंग टैक्स के रसीद एवं दैनिक वसूली पंजी के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि राशि ₹44966/– कम जमा/नहीं जमा था। विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र0 सं0	होल्डिंग रसीद सं.	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि	वसुलीकर्त्ता का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1	958	05.08.2013	1292	1232	60	पवन कुमार, तहसीलदार
2	1139	29.09.2013	92	52	40	सिद्धेश्वर ना0 सिंह, तहसीलदार
3	1159	25.10.2013	2048	248	1800	– वही –
4	1185 से 1200 तक	05.12.2013 से 31.12.2013 तक	22678	22204	474	– वही –
5	2401 से 2500 तक	18.03.2014 से 30.04.14 तक	75182	74882	300	अंजनी कुमार गौतम, तहसीलदार
6	1266	25.11.2013	816	806	10	कुमार बलवंत यादव, तहसीलदार
7	1267	25.11.2013	670	607	63	– वही –
8	1201 से 13000 तक	25.07.2013 से 11.02.2014 तक	1,16,449	110883	5566	– वही –
9	2106	21.02.2014	956	556	400	– वही –

10	2101 से 2182 तक	21.02.2014 से 11.06.2014 तक	93183	59064	34119	– वही –
11	1658–1700	24.12.13 से 05. 02.14	43,627	42,216 / 25. 02.14	1,411	नीलम संजीव रेड्डी
12	2052–2300	18.02.14 से 01. 03.14	38,527	37,804 / 26. 03.14	723	तथैव
		कुल	**395520**	**350554**	**44966**	

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि विवध रसीद सं.–2745 दिनांक 06.09.14 द्वारा राशि ₹44966 चालान सं.–24 / 14–15 द्वारा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खाता सं.–73190100021592 में दिनांक 08.09.14 को जमा किया गया है। राशि जमा का साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाय।

कंडिका– 17 योजना सं.–46 / 2012–13 का अनियमित क्रियान्वयन ₹3.63 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक– 4 दिनांक 29.5.2012 के द्वारा परिवहन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण / जिर्णोद्धार के अंतर्गत नगर परिषद, मसौढ़ी को ₹15.45 लाख की दो योजना की प्राक्कलित राशि को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राशि ₹15.45 लाख जारी किया गया। इसमें से एक योजना, योजना संख्या–46 / 2012–13' वार्ड संख्या–24 में महेन्द्र चौधरी के मकान से गोपाल दास के मकान होते हुए महावीर साव के मकान तक पी0सी0सी0 कार्य (लम्बाई–1300 फीट, चौड़ाई–8 फीट) था जिसकी प्राक्कलित राशि ₹705000 था।

नगर परिषद, कार्यालय के कनीय अभियंता द्वारा प्राक्कलन 30.11.2012 को बनाया गया। जिसकी तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 01.12.2012 को दिया गया। निविदा आमंत्रण 5 / 2012–13 हेतु 06.12.2012 को प्रत्यूस नव बिहार, पटना एवं प्रभात खबर को सूचना दिया गया तथा प्रत्यूस नव बिहार के रांची संस्करण में दिनांक 09.12.2012 को यह छापा, निविदा बिक्री की तिथि 13.12.2012 (1 बजे दोपहर) तक तथा जमा करने के तिथि 15.12.2013 (3:30 बजे दोपहर) था। इसमें न्यूनतम दर निविदादाता श्री अखिलेश कुमार सिंह, संवेदक, प्राक्कलित राशि पर को दिनांक 19.12.2012 को कार्यादेश निर्गत किया गया।

कुछेक वार्ड पार्षदों द्वारा निविदा में बरती गयी धांधली के आरोप के पश्चात नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को जांच हेतु 04.01.2013 पत्र भेजा गया। जिला पदाधिकारी, पटना जो निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना से जांच कराये थे, दिनांक 20.02.2013 को निविदा प्रक्रिया में सरकारी निदेश का अनुपालन नहीं करने तथा निविदा का प्रकाशन राज्य के अधीन किसी भी सामाचार पत्र में नहीं करने का जांच प्रतिवेदन सरकार को भेजे। इसमें वह भी उल्लेख था कि इस योजना में न ही मापी पुस्तिका में मापी दर्ज की गई और न ही कोई भुगतान किया गया है (दिनांक 31.01.2013 निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पटना का जांच प्रतिवेदन)।

इसी बीच कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढ़ी ने 30.01.2013 को संवदेक को कार्य स्थगित रखने का पत्र दिये। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने निविदा सूचना– 5/2012–13 को रद्द कर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से निविदा आमंत्रण में हुई अनियमिता के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए 12.08.2013 को पत्र दिया।

इसके पश्चात् संवेदक को कृत कार्य की राशि ₹400063 में आवश्यक कटौती कर राशि ₹342990 दिनांक 25.11.2013 तथा एस0डी0 की राशि ₹20003 दिनांक 13.03.2014 को भुगतान किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. निविदा आमंत्रण सूचना व्यापक पैमाने पर प्रकाशित नहीं किया गया, सिर्फ एक ही समाचार पत्र में क्यों प्रकाशित हुआ।

2. निविदा प्रकाशन में सरकारी निदेश के आलोक में समय सीमा का अनुपालन नहीं किया गया।

3 निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पटना की जांच रिपोर्ट (31.01.2013) के अनुसार मापी पुस्त में कार्य की मापी दर्ज नहीं था तथा 30.01.2013 को ही कार्यपालक पदाधिकारी ने कार्य स्थगित रखने का पत्र संवेदक को दिया था। अथार्त तब तक कार्य शुरू नहीं हुआ था। तब किन परिस्थितियों में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 01.11.2013 को कार्य का मापी कराने तथा राशि ₹362993 संवेदक को भुगतान किया गया। जबकि तत्कालिन कार्यपालक पदाधिकारी से न ही स्पष्टीकरण मांगा गया न ही इसे प्राप्त किया गया।

4. विभाग द्वारा भेजी गई योजना में 1300 फीट लम्बा व 8 फीट चौड़ा में पी0सी0सी0 कार्य करना था। जबकि प्राक्कलन में 781 फीट लम्बाई में मिट्टी कार्य, लोकल बालू भराई, ईंट सोलिंग तथा पी0सी0सी0 कार्य का प्राक्कलन को 01.12.2012 को तकनिकी स्वीकृति दिया गया। इसी पर कार्य मापी पुस्त में किया गया। इस प्रकार विचलन किया गया।

5. 01.11.2013 को कनीय अभियंता को मापी करने का आदेश दिया गया। मान लिया जाए कि कार्य 30.01.2013 के पूर्व सम्पन्न भी हो गया था, तो कनीय अभियंता द्वारा जो 26.11.2013 को मापी लिया गया, उसमें पी0सी0सी0 के पहले का कार्य का मापी कैसे लिया गया। यह स्पष्ट नहीं किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि योजना के क्रियान्वयन में काफी अनियमितता बरती गई तथा राशि ₹362993 का अनियमित व्यय हुआ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि–

1 जानकारी के अभाव में निविदा आमंत्रण सूचना में समय सीमा का अनुपालन नहीं किया गया।

2 कार्य के संबंध में कनीय अभियन्ता को स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुछा जा रहा है।

कनीय अभियंता से वस्तुस्थिति प्राप्त कर उच्चस्तरीय जाँच इस योजना की किए जाने की आवश्यकता है। तबतक व्यय राशि ₹362993/– को अंकेक्षण आपति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका–18 टेम्पू और टीपर की क्रय में अनियमितता

तेरहवीं वित्त आयोग की प्राप्त राशि से दो अदद् टेम्पू तीन चक्का तथा दो अदद हाइड्रोलिक टीपर का क्रय 'गया हार्डवेयर मार्ट', गया से किया गया था तथा राशि ₹1107390 का भुगतान फर्म को किया गया था। विवरण नीचे है :–

क्रं0 सं0	सामग्री का नाम व सं0	प्रति अदद दर	बिल की राशि	फर्म को भुगतान की गई राशि	चेक सं.	दिनांक
1	2 अदद टेम्पु	189970	379940	379940	848065	28.06.2013
2	2 अदद टीपर	363725	727450	727450	848082	27.08.2013
		कुल	1107390	1107390		

अंकेक्षण टिप्पणी

1. **स्त्रोत पर वैट की कटौती नहीं**– आपूर्ति आदेश पत्रांक 540, दिनांक 06.06.2013 के शर्त 5 के अनुसार विपत्र से वैट की राशि नियमानुसार (भुगतान के स्त्रोत पर) कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। परंतु, भुगतान करते समय वैट की राशि ₹131716 की कटौती कर भुगतान नहीं किया गया। विवरण नीचे है :–

क्र0सं0	इन्वाइस सं./दिनांक	बिल की राशि	वैट की राशि
1	522/MAC/2013-14 दिनांक 13-06-2013	189970	22595.55
2	521/MAC/2013-14 दिनांक 13-06-2013	189970	22595.00
3	13/GHM/2013-14 दिनांक 18-07-2013	363725	43262.45
4	14/GHM/2013-14 दिनांक 18-07-2013	363725	43262.45
	कुल	**1107390**	**131716.00**

वैट की कटौती नहीं करने हेतु फर्म द्वारा वैट स्वच्छता प्रमाण–पत्र भी संलग्न नहीं किया गया था।

2. **गुणवत्ता प्रमाण–पत्र अनुपलब्ध**– आपूर्ति आदेश के शर्त 3 के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता सही पाए जाने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा। परंतु, क्रय संचिका में गुणवत्ता के संबंध में किन्हीं भी तकनीकी पदाधिकारी/कर्मी की टिप्पणी/प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं था। तात्पर्य है कि इसे प्राप्त नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि– वैट के संबंध में फर्म को पत्र लिखा जा रहा है। सफाई निरीक्षक से गुणवत्ता प्रमाण पत्र लिया गया। उत्तर के आलोक में जाँचोपरान्त तक वैट की राशि ₹131716 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका–19 कार्य पूर्ण के विलम्बता के एवज में शास्ति की कटौती नही

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत योजना संचिकाओं के नमूना जाँच के अनुसार यह मामला प्रकाश में आया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार निर्धारित समय में क्रियान्वित योजनाओं को पूर्ण नहीं

किया गया था जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई। योजनाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि संवेदक द्वारा न तो समय वृद्धि का आवेदन दिया गया था न ही क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती की गयी थी। विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	यो0सं0	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि एवं एकरारनामा की राशि	कार्यादेश की तिथि/अवधि/कार्य पूर्ण की तिथि	पारित विपत्र (चलंत विपत्र)	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलंब दिवस /राशि जिसपर शास्ति की गई है	विलंब से कार्य की राशि एवं इस पर शास्ति
1	11/2013-14 चतुर्थ वित	वार्ड संख्या–7 में जानकी मार्केट के पीछे से रहमतगंज कुशवाहा मार्केट तक ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी निर्माण योजना।	श्री अखिलेश कुमार सिंह	466700	630/ 04-07-13 दो माह 3/9/2013	प्रथम पारित विपत्र–₹405995 द्वितीय एवं अंतिम विपत्र ₹60705 कुल किया गया कार्य– ₹466700	28/09/13	24/ ₹60705	6070.50
2	13/2013-14 चतुर्थ वित	वार्ड संख्या–8 में ए0के0 दत्ता के घर से रमेश प्रसाद के घर तक पी0सी0सी एवं नाली निर्माण।	श्री अखिलेश कुमार सिंह	67000	630/ 04-07-13 दो माह 3/9/2013	प्रथम एवं अंतिम पारित विपत्र ₹67000 कुल किया गया कार्य– ₹67000	12/11/13	69/ 67000 रू0	6700
3	33/2013-14 चतुर्थ वित	वार्ड संख्या–24 में कृष्णा चौधरी के घर से लेकर जगरनाथ साव तक नाली मरम्मती एवं पी0सी0सी कार्य।	श्री मनिष कुमार	290600	649/ 04-07-13 दो माह 3/9/2013	प्रथम पारित विपत्र ₹155318 द्वितीय पारित विपत्र ₹94163 तृतीय एवं अंतिम विपत्र ₹39028 कुल किया गया कार्य– ₹288509	28/11/13	75/ 39028 रू0	3902.80
									कुलः– 16673.30

अतः बिहार लोक निर्माण विभाग Schedule XLV From No-61 के अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूरा नही किये जाने पर प्रतिदिन 1/2 प्रतिशत की दर से या अधिकतम प्राक्कलन के 10 प्रतिशत विलम्बता के एवज में शास्ति वसूलने का प्रावधान है। इस प्रकार से उक्त नियम के आलोक में वर्णित विवरणी के अनुसार सभी संवेदको से राशि ₹16673.30/– की वसूली सुनिश्चित किया जाए। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि क्रमांक 1, 2, 3 के संवेदक को नोटिस दिया जा रहा है। अतः राशि ₹16673.30 को वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

250

कंडिका–20 बस पड़ाव बंदोबस्ती में वसूली नहीं ₹173459

लेखापरीक्षा में उपलब्ध बस पड़ाव बंदोबस्ती संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 के लिए ₹739200 की प्रस्तावित सुरक्षा जमा राशि की बंदोवस्ती की सूचना निकाली गई, नोट शीट के अनुसार कोई भी डाकपक्ष के भाग नहीं लेने के कारण विभागीय वसूली आदेश ज्ञापांक 262/26.03.2013 को किया गया। पुनः बंदोबस्ती सूचना 05/2013–14 के अनुसार सुरक्षित जमा एक वर्ष का ₹450000 कर समानुपात पर शेष अवधि के लिए श्री अखिलेश्वर प्रसाद को ₹263800 पर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2013–14 के लिए विभागीय वसूली एवं बंदोवस्ती के द्वारा संबंधित निधि में जमा की गई राशि के विवरण निम्न है –

क्रं0सं0	बंदोवस्ती	विधि रसीद सं0/दिनांक	जमा की गई राशि	अभियुक्ति
1	रेलवे गुमटी से पुरब बस पड़ाव एवं नदवाँ रोड, मसौढ़ी बस पड़ाव	1698/09.09.2013	88755	01.04.13 से 07.07.13 विभागीय वसूली
2	– वही –	2701/29.08.2013	151000	श्री अखिलेश्वर प्रसाद
	– वही –	2703/03.01.2014	44000	– वही –

उपर्युक्त विवरण के अनुसार विभागीय वसूली के रूप में ₹88755 एवं बंदोबस्ती में ₹195000 जमा की गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) दिनांक 01.09.2013 से 31.03.2014 तक बस पड़ाव के बंदोबस्ती के लिए ₹263800 पर बंदोबस्ती की गई, परंतु बंदोवस्तीधारक द्वारा ₹68800 (₹263800– ₹195000) जमा नहीं की गई थी।

(ii) समानुपातिक आधार पर ₹37500 प्रतिमाह की दर से 01.09.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए बंदोवस्ती की गई थी इस परिपेक्ष्य में विभागीय वसूली के रूप में 04.04.2013 से 31.08.2013 की अवधि में (₹37500 X 5 माह) ₹187500 की वसूली कर जमा करना था, परंतु विभागीय वसूली के रूप में ₹98745 (₹187500 – ₹88755) कम जमा किया गया था।

(iii) 2013–14 के लिए बंदोबस्ती ₹739200 के अधार पर की जानी थी, परंतु बंदोबस्ती ₹450000 के समानुपात पर शेष अवधि (01.09.2013 से 31.03.2014) के लिए ₹263800 में की गई थी। विगत वर्ष 2012–13 के लिए बंदोवस्ती ₹691000 पर की गई थी। इस प्रकार इतने कम राशि पर बंदोवस्ती किस आधार पर की गई।

(iv) बंदोबस्ती के लिए बंदोबस्तीधारक से एकरारनामा बंदोबस्ती के 3% प्रतिशत स्टांप पेपर पर ₹7914 (₹263800 × 3%) पर करनी थी परंतु एकरारनामा ₹2000 (₹500 X 4) पर की गई इस प्रकार एकरारनामा ₹5914 (₹7914– 2000) संबंधित बंदोबस्तीधारक से वसूलनीय है।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि जॉच के उपरान्त आपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। इस संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये। बन्दोबस्ती की कम वसूली राशि ₹173459.00 संबंधित बन्दोबस्तीधारक से वसूलनीय है।

इसकी वसुली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका–21 अग्रिम (स्ट्रीट लाईट हेतु)

तेरहवीं वित्त आयोग की प्राप्त राशि से 'जय माँ तारा होम कन्स्ट्रक्शन, पटना' को स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु दो किश्तों में अग्रिम के रूप में कुल राशि ₹650000 दिया गया था, विवरण नीचे है–

क्रं0सं0	चेक सं.	दिनांक	अग्रिम राशि
1	848067	04.07.2013	2,75,000
2	848077	10.08.2013	3,75,000
		कुल	**6,50,000**

अग्रिम का सामंजन नहीं किया गया था। आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि अग्रिम राशि का सामंजन विपत्र फर्म द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर समांजन कर लिया जायेगा।

सामंजन विपत्र फर्म द्वारा प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये तब तक राशि ₹650000.00 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका–22(i)

I. BRGF की योजना में मात्र 2 से 3 संवेदक को कार्य आवंटित करना

निविदा आमंत्रण सूचना 6/2013–14 जिसमें BRGF के अंतर्गत वर्ष 2013–14 की कुल 4 योजना यथा योजना संख्या–39/2013–14, 40/2013–14, 41/2013–14 व 42/2013–14 की निविदा समिति की बैठक दिनांक 31.08.2013 को आयोजित हुई थी, संधारित पंजी की नमूना जांच में पाया कि तीन संवेदक ही इन चार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आए तथा इनमे से एक संवेदक को 2 योजना तथा शेष दोनों को 1–1 योजना हेतु कार्यदेश दिया गया था। विवरण नीचे है :–

क्र0 सं0	योजना सं.	परिमाण विपत्र क्रय करने वाले संवेदक का नाम	दर	कार्य की राशि	कार्यादेश प्राप्त संवेदक का नाम
1	39/2013–14	श्री अखिलेश कुमार सिह, तारेगना गोला व श्री संजय कुमार, मसौढ़ी	प्राक्कलित से 2% उपर प्राक्कलित राशि	496000	श्री संजय कुमार
2	40/2013–14	– वही – – वही –	प्राक्कलित राशि प्राक्कलित से 3% उपर	354132	श्री अखिलेश कुमार सिह
3	41/2013–14	– वही – – वही –	प्राक्कलित राशि प्राक्कलित से 3% उपर	471600	श्री अखिलेश कुमार सिह
4	42/2013–14	– वही – व छुई–मुई कंस्ट्रक्सन	प्राक्कलित से 2% उपर प्राक्कलित राशि	656000	छुई–मुई कंस्ट्रक्सन

12/18

उपरोक्त विवरणी से साफ स्पष्ट हे कि ये मैनेज्ड टेंडर था तथा आपस में ही समझौता संवेदक द्वारा किया गया होगा। मैनेज्ड टेंडर का कार्यन्वयन करने का कारण अगले अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाय।

ii. कार्य गुणवत्ता नहीं रहना (पथ निर्माण)

योजना संख्या :– 40/2013–14
प्राक्कलित राशि :– ₹358600
एकरारनामा राशि :– ₹358600
संवेदक का नाम :– श्री अखिलेश कुमार सिंह
कार्य की राशि :– ₹354132, भुगतान की तिथि 25.11.13

प्राक्कलन में तीन कार्य करना था।

1. पथ निर्माण – 260 फीट लंबा ₹160745
2. नाला – 240 फीट लंबा ₹77013 (भाड़ा रहित)
3. मैन होल – 8 अदद। ₹54733

मापी पुस्तिका के अनुसार कृत कार्य इस प्रकार है :–

1. पथ निर्माण – 260 फीट लंबा ₹140419
2. नाला – 240 फीट लंबा ₹77013 (भाड़ा रहित)
3. मैन होल – 8 अदद। ₹68445

मैन होल की संख्या 8 से 10 करने तथा पथ निर्माण के प्राक्कलन के मद संख्या–2 में Brick on edge soling के विरूद्ध मापी पुस्त में मद संख्या–16 में Brick flat Soling का कार्य किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. किसी भी मद में 10% से अधिक विचलन करने पर उच्च तकनीकी पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। मैन होल की संख्या–8 से 10 करने हेतु उच्च तकनीकी पदाधिकारी की स्वीकृति नहीं प्राप्त किया गया था।

2. Brick on edge Soling के स्थान पर Brick flat Soling 1586.615 Sft करने हेतु भी उच्च तकनीकी पदाधिकारी अर्थात् कार्यपालक अभियंता से स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया। साथ ही ऐसा कार्य करने से पथ की गुणवत्ता भी स्तरहीन रहा। निम्न गुणवत्ता का पथ निर्माण किया गया।

इस प्रकार प्राक्कलन से विचलन कर कृत कार्य ₹13712 (मैन होल) एवं ₹20326 (पथ) अर्थात कुल राशि ₹34038 का अनियमित व्यय हुआ।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i) दो से तीन संवेदक आने के कारण ही कार्य की महत्ता को देखते हुए आवंटित किया गया है।

(ii) गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने के संबंध में कनीय अभियन्ता को स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र दिया जा रहा है।

भविष्य में मैनेज्ड टेंडर से बचा जाए। अनियमित कार्य एवं व्यय ₹34038 का स्पष्टीकरण दिये जाने तक को अंकेक्षण आपति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका–23 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत SJSRY संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि संचिका के ज्ञापांक 753/28.09.2012 एवं ज्ञापांक– 760/03.10.2012 के अनुसार कुल 296 प्रशिणार्थी को विभिन्न संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का आदेश दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत नगर परिषद द्वारा विभिन्न संस्था को भुगतान किया गया विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	प्रशिक्षण देने वाली संस्था	संस्था को किया गया कुल भुगतान	अभियुक्ति
1	जनकल्याण समिति, ब्लॉक रोड, मसौढ़ी।	399000	
2	संबोधित कम्प्युटर, पार्क मेन रोड, मसौढ़ी।	433380	
3	दारोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, मसौढ़ी।	382587	
4	मिथिला विकास समिति	292260	
5	दूर्गा महिला शिशु कल्याण	74925	
6	इंडक्टस कन्सल्टैन्ट प्रा0 लि0, मसौढ़ी	267465	
	कुल योग	**18,49,617**	

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) संचिका में इंडक्टस कन्सल्टैन्ट के ₹160950, दूर्गा महिला शिशु कल्याण के ₹45900, मिथिला विकास आश्रम के ₹176100 तथा दारोगा प्रसाद राय संस्था के ₹255000 के अभिश्रव संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो संचिका में संलग्न नहीं पाया गया, इस प्रकार ₹637950 के अभिश्रव के जांच किए गए बिना राशि भुगतान कर दिया गया।

(ii) संस्था के द्वारा प्रशिक्षणार्थी को टूल/किट्स आदि दिया जाना था परन्तु क्रम संख्या–1, क्रम संख्या–2, क्रम संख्या–4 एवं क्रम संख्या–6 के द्वारा दिए गए टूल/किट्स आदि प्रशिक्षणार्थी को प्राप्त किये जाने के प्रमाण संचिका में नहीं पाए गए थे।

(iii) पत्रांक–2/स्वर्ण 02/11/927, दिनांक 06.09.2012 के अनुसार एवं संस्था के साथ किए गए एकरारनामा के अनुसार प्रशिक्षण के उपरान्त 30% प्रशिक्षणार्थी को रोजगार उपलब्ध कराया था, परन्तु संचिका में रोजगार दिये जाने का कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया। वर्तमान में कितने प्रशिक्षाणार्थी को संस्था के द्वारा रोजगार मिला है इसकी अद्यतन स्थिति का विवरण नहीं दिया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि इस संबंध में प्रशिक्षण देने वाली संस्था को पत्र दिया जा रहा है। उपरोक्त आपत्ति का स्पष्टीकरण दिए जाने तक राशि ₹1849617.00 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका–24 संचार मोबाईल टावरों पर ₹4 लाख शुल्क बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मिनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद के पंजीकरण शुल्क ₹40,000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹10,000 प्रति वर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपरोक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जायेगा।

नगर परिषद लेखापरिक्षा में प्रस्तुत मोबाईल टावर संचिका एवं विवरणी के नमूना जांच में पाया गया कि नगर परिषद के अंतर्गत 15 टावर अधिष्ठापित थे जिनमें आठ टावर नगर परिषद द्वारा पंजीकृत एवं 7 टावर अपंजीकृत थे, उपरोक्त नियामावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाईल टावर पर कुल 4 लाख बकाया था।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने के लिए निकाय द्वारा क्या प्रयास किए गए है।

2. मोबाईल टावर पर बकाया शुल्क के लिए क्या प्रयास किये गए हैं।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i) अपंजीकृत को पंजीकृत करने हेतु आपेक्षित प्रयास किया जा रहा है।

(ii) बकाया शुल्क की वसूली हेतु आपेक्षित प्रयास किया जा रहा है।

मोबाईल टावर के बकाया राशि ₹400000.00 की वसूली कर संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

कंडिका–25 निरस्त

कंडिका–26(i) संपत्तिकर (होल्डिंग कर) की बकाया राशि की वसूली नहीं ₹68.34 लाख

होल्डिग कर से संबंधित मांग तथा वसूली पंजी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था, परन्तु होल्डिंग कर बकाया से संबंधित विवरणी लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया था जिसके अनुसार ₹68.34 लाख होल्डिग कर वसूली के रूप में 31.03.2014 तक बकाया था, विवरण निम्न है –

कुल होल्डिग संख्या	:–	9966
कुल मांग	:–	₹8915094
कुल वसूली	:–	₹2080531
कुल बकाया	:–	₹6834563 (31.03.2014)

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. उपरोक्त होल्डिग कर के बकाया की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

2. वाटर टैक्स एवं लैट्रिन टैक्स के रूप में कुल वसूली नहीं की जा रही है।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि– वसूली हेतु आपेक्षित प्रयास किया जा रहा है।

बकाया राशि की अतिशीघ्र वसूली किया जाए एवं इसे अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

कंडिका–26(ii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि जमा नहीं ₹9,36,240

शहरी स्थानीय निकायों को सम्पति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50 प्रतिशत के दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रूप में वसूली गई राशि राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकाय के वसूल किए गए राजस्व में से 10% वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाता में जमा करना था परन्तु इसे जमा नहीं किया गया उक्त मदों में सरकारी खातें में जमा नहीं की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2013–14	शिक्षा उपकर की राशि	स्वास्थय उपकर की राशि
कुल राजस्व	520132.75	520132.75
(घटाव वसूली प्रभार 10%)	52013	52013
सरकारी खाता में जमा नहीं राशि	468119.75	468119.75
कुल जमा नहीं राशि	9,36,240	

नगर परिषद द्वारा उपर्युक्त राशि ₹936240 संबंधित निधि में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्यय पर किया था।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि– नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुदृढ नहीं है सुदृढ हाने पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की राशि वापस कर दिया जायेगा। इसे संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

कंडिका–27 दुकान किराया की बकाया राशि ₹2.13 लाख

नगर परिषद, कार्यालय मसौढ़ी द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखाओं के लेखापरीक्षा के क्रम में नमूना जांच में पाया गया कि राशि ₹213762 दुकान किराया का बकाया था।

रेलवे गुमटी के पूरब बस पड़ाव, मसौढ़ी स्थिति मार्केट शाखा में 12 (बारह) दुकानें हैं। दुकान किराया वर्ष 1998–99 से नवम्बर 2012–13 अब तक अर्थात 01 से 15 वर्षों का बकाया है। ये बकाया वसूला नहीं गया था।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि वसूली हेतु आपेक्षित प्रयास किया जा रहा है।

जवाब के आलोक में राशि ₹213762 लाख वसूलनीय है। इस संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

कंडिका–28(i) वैट की राशि के एवज में फार्म सी–III नहीं प्राप्त किया जाना

नगर परिषद, मसौढी के वित्तीय वर्ष 2013–14 के भाउचरों के अंकेक्षण के नमुना जांच के क्रम में पाया गया कि कुल देय राशि में से वैट की राशि को भुगतान के एवज में फार्म सी0–III साक्ष्य के रूप में लिया जाना था। विवरण निम्न है –